उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-150/2025/2118/26-3-2025-1927901
लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

कृपया निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1869/स0क0/शिक्षा-अ/8/154-2/2025-26 दिनांक 01.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 के नियम-6(xvii) में उल्लिखित प्राविधान को वर्ष 2025-26 के लिए छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-K-11011/2/2021-SCD-V-Part(1) दिनांक 12-06-2025 द्वारा अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC तथा NBA ग्रेडिंग हेतु वर्ष 2025-26 के लिए छूट प्रदान की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 (एकादश संशोधन) दिनांक 27-09-2023 के नियम - 6 (xvii) में निम्नवत व्यवस्था की गयी है:-

(क) केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र / राज्य / निजी / डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council & and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठयक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

उ०प्र० सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली - 2023 (नवम संशोधन) दिनांक 28-09-2023 के नियम-6 (xvii) में निम्नवत व्यवस्था की गयी है:-

(क) केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र / राज्य / निजी / डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council & and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से

उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) समस्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

4- इस सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोंपरान्त उ0प्र0 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली - 2023 के नियम-6 (xvii) में उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्राविधान से वर्ष 2025-26 के लिए छूट प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार अनुपाल सुनिश्चित किया जाय।

Digitally signed by RAJANI KANT PANDE
Date: 01-09-2025 18:36:58

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्व 0प्र0) समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0,उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, लखनऊ उ0प्र0।
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलीय संयुक्त /उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- वित्त (व्ययय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।